न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 45/2020
GCMS No-2020/00018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		रामलाल चौधरी पुत्र श्री खसाराम जाति चौधरी मैसर्स चौधरी ढाबा रामभाई साण्डेराव फालना चौराया साण्डेराव जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–
अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.06.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 11.10.2019 को दौराने गश्त मैसर्स चौधरी ढाबा रामभाई साण्डेराव फालना चौराया साण्डेराव जिला पाली पर गया वहां पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया तथा ढाबे का निरीक्षण करने पर पाया की वहां फ्रिजर में आमजन के लिए खाद्य सामग्री निर्माण हेतु 7–8 किलो पनीर रखा हुआ है, जिसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में से एक किलोग्राम पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा पनीर को चार भागों में विभक्त किया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–989 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर विक्रेता गवाहान व स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./795/एक्ट/2019/842 दिनांक 25.102019 में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ पनीर Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad पनीर का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2019 को दौराने गस्त अप्राथी की फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2019 को अप्रार्थी की फर्म में आमजन के लिए खाद्य सामग्री निर्माण हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर मे से एक किलोग्राम वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा पनीर को चार भागों में विभक्त कर, लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–989 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./795/एक्ट/2019/842 दिनांक 25.10.2019 में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ पनीर नमुना Sub Standrad माना गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना खाद्य पदार्थ पनीर जो Sub Standrad पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली